फर्द अहकाम

नानगराम बनाम रमेश चन्द

/20

ख्या /वर्ष 207/2020 :

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
9/10/24	पत्रावली पेश हुई। व वकील [illegible] उपस्थित व वकील [illegible] की [illegible] अन्तर्गत धारा 10, 11 CPC पर बहस सुनी गई। वास्ते आदेश हेतु दि० 29/10/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
29/10/24	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० महोदय अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्ववत दिनांक 30/10/24 को पेश हो।	
30/10/24	पत्रावली वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत है। प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर पेश प्रार्थना पत्र Sec 10 CPC स्वीकार कर वाद वादी [illegible] निर्णय प्रधान से किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली [illegible] बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.30 15:52:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 207/2020
निर्णय दिनांक : 30.10.2024

ननगराम बनाम रमेशचन्द्र

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10, 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी

निर्णय दिनांकः 30.10.2024

वादी ने दावा अन्तर्गत बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा, तथा सीमाज्ञान अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 111, 128 भू– राजस्व अधिनियम 1956 का वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बरान 2775, 2776, 2799, 5309/2789 कुल किता 4 कुल रकबा 0.3500 है0 वाके ग्राम सांगानेर , तहसील सांगानेर जिला जयपुर का पेश किया । जिसमें प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10, 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी नानगराम द्वारा उक्त उनवानी वाद नामान्तरण प्रपत्र संख्या 2075 दिनांक 13/02/2020 के आधार पर प्रस्तुत किया है। उक्त विवादित नमान्तकरण माननीय न्यायालय हाजा द्वारा वाद संख्या 57/06 उनवानी प्रकाश चन्द्र व अन्य बनाम रामलाल में पारित निर्णय / डिक्री दिनांक 21/08/2019 की इजराय की पालना में खोला गया है। उक्त निर्णय/डिकी दिनांक 21/08/2019 को माननीय न्यायालय आर ए.ए जयपुर में अपील संख्या 82/2020 उनवान रमेश चन्द्र सैनी बनाम प्रभाती व अन्य के द्वारा अपीलाधीन है जो आज दिनांक में भी लंबित है। उक्त अपील पत्रावली में माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 26/02/2020 से माननीय न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय / डिकी कि कियान्वीती पर रोक लगा दी गयी है यह कि उक्त स्थगन आदेश से आदेश दिनांक 21/08/2019 की कियान्वीती पर स्थगन आदेश लगाये जाने से उक्त निर्णय / डिकी के आधार व अनुसरण में दिनांक 26/02/2020 के उपरान्त कोई भी कार्य विधितः नहीं किया जा सकता है। वादी नानगराम द्वारा उक्त वाद उक्त स्थगन आदेश लिये जाने के उपरान्त माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष विधिक प्रावधानो के विपरीत प्रस्तुत किया गया है क्योंकि वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद में विवादग्रस्त सम्पति वही सम्पति है जो लम्बित अपील संख्या 82/2020 में है लिहाजा जो विवादग्रस्त कृषि भूमि अपील में अपीलाधीन है जिसका निस्तारण आज दिनाकं तक नहीं हुआ है अर्थात [illegible] भूमि किसको मिलनी है अभी अपीलीय न्यायालय द्वारा तय किया जाना शेष है। तब [illegible] न्यायालय हाजा द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.30 15:52:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

पारित आदेश दिनांक 21/08/2019 की वैधता पर भी निर्णय लिया जाना शेष है। अतः जब तक माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश / निर्णय नहीं लिया जाता है तब तक निर्णय / डिकी दिनांक 21/08/2019 के अनुसरण में बने नामान्तरण संख्या 2075/2020 पर स्थगन आदेश दिनांक 26/02/2020 के चलते इसका प्रयोग नानगराम द्वारा विधित नहीं किया जा सकता है तथा स्वयं माननीय न्यायालय हाजा के पीठासीन आधिकारी को इस विधि का ज्ञान भी है। उक्त उनवानी वाद में वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अपील संख्या 82/2020 माननीय न्यायालय आर.एए. जयपुर में अपील लम्बित है अतः केवल मात्र विवादित नामान्तरण के आधार पर वादी को वाद सस्थित किये जाने की विधिक अधिकारिता नहीं है कानुनन एक ही कृषि भूमि को दो अलग–अलग न्यायालयों में विवादग्रस्त नहीं किया जा सकता। विधि का यह सुस्थापित सिंद्वात है। लिहाजा प्रार्थी को अन्यथा साबित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। माननीय न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को इस विधि का भी ज्ञान है कि यदि अपील में निर्णय/डिकी दिनांक 21/08/2019 को पलट दिया जायेगा तो नामान्तरण संख्या 2075/2020 तहसील सागानेर स्वयमेव ही निरस्त हो जायेगा अतः अपील के लम्बित रहते उक्त नामान्तरण अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं है। लिहाजा माननीय न्यायालय को उक्त वादग्रहण करने की भी विधिक अधिकारिता प्राप्त नहीं है इसे चलाये रखना या इसमें न्यायायिक कार्यवाही संचालित किया जाना विधिक प्रावधानो के विपरीत है एंव न्यायालय शक्तियों का दुरुपयोग किये जाने की श्रेणी में भी आता है। वाद संख्या 57/06 न्यायालय एस.डी.ओ सागानेर में वादी प्रकाश चंन्द व अन्य द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज बावत तकासमा दिनांक 05/02/2004 के आधार पर प्रस्तुत किया गया था उक्त दस्तावतेज दिनांक 05/02/2004 के निरस्तीकरण का दावा उनवान रामलाल बनाम प्रकाश चन्द्र व अन्य माननीय न्यायालय एडीजे 11 सांगानेर में लम्बित है उक्त सिविल वाद की टी.आई में स्थगन आदेश दिनांक 06/07/2015 जारी किया गया है जिससे वादी नानगराम स्वयं भी वाध्य है उक्त स्थगन आदेश दिनांक 06/07/2015 के द्वारा माननीय न्यायालय ए. डीजे 11 सांगानेर द्वारा सभी पक्षकारों को उक्त दस्तावेज दिनांक 05/02/2004 के आधार पर विवाद ग्रस्त जमीन जयादात को किसी भी प्रकार से अन्तरण किये जाने से माना ही की गयी है उक्त दस्तावेज दिनांक 05/02/2004 उस कृषि भूमि के संबंध में निस्पादित किया गया जो कि माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष लम्बित वर्तमान वाद एवं पूर्व वाद संख्या 57/06 में वाद ग्रस्त कृषि भूमि थी और है लिहाजा [illegible] दस्ता[illegible] दिनांक 05/02/2004 में उल्लेखित कृषि भूमि वाद संख्या 57/06 व 2[illegible] [illegible] सांगानेर व निरस्तीकरण के दावे। उनवानी रामलाल बनाम प्रकाश व अन्य एडीजे [illegible]ानेर में भी विवादग्रस्त भूमि है

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.30 15:52:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

चूंकि सभी वादो का मुख्य आधार मात्र दस्तावेज दिनांक 05/02/2004 ही है। जिस बाबत अभी सिविल न्यायालय ए. डीजे 11 सांगानेर द्वारा निर्णय लिया जाना शेष है तबतलक नानगराम इस दस्तावेज के आधार पर इस दस्तावेज में उल्लेखित कृषि भूमि (जो कि माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष लम्बित वाद की भी विवाद ग्रस्त भूमि है तथा माननीय न्यायालय एडीजे 11 सांगानेर में भी वादग्रस्त है) को अंतरित करवाये जाने बाबत उक्त वर्तमान वाद संस्थित किये जाने की विधिक अधिकारिता नहीं रखता है। स्थगन आदेश दिनांक 06/07/2015 न्यायालय ए.डीजे 11 सांगानेर के चलते कोई भी पक्षकार दस्तावेज दिनांक 05/02/2004 में उल्लेखित कृषि भूमि को किसी भी प्रकार से अंतरित नहीं कर सकता और वर्तमान वाद से वादी नानगराम दस्तावेज दिनांक 05/02/2004 में उल्लेखित कृषि भूमि का तकास्मा करवाकर नाम का अंतरण ही करवा रहा है जबकि ऐसा नहीं किये जाने को नानगराम स्वयं स्थगन आदेश दिनांक 06/07/2015 से विधितः बाध्य है। स्थगन आदेश दिनाक 06/07/2015 के चलते वाद संख्या 57/06 न्यायालय एसडीओ सांगानेर के वादीगण को वाद संख्या 57/06 को निर्णीत नहीं करवाया जाना चाहिए था अर्थात आदेश दिनांक 21/08/2019 पारित नहीं करवाया जाना चाहिए था। इस प्रकार उपरोक्तानुसार स्थगन आदेश दिनांक 26/02/2020 न्यायालय आर एए जयपुर व स्थगन आदेश 06/07/2015 के चलते वाद संख्या 23/2024 उनवान रामलाल बनाम प्रकाश चन्द्र (नानगराम वादी रामलाल का पुत्र है) दावा बाबत निरस्तीकरण एवं अपील संख्या 82/2020 उनवान रमेश चन्द्र बनाम प्रभाती व अन्य के लम्बित रहते एवं आदेश/निर्णय/डिक्री 21/08/2019 की क्रियान्विती पर स्थगन आदेश दिनांक 26/02/2020 के प्रभावी रहते वाद के वादी नानग राम को वर्तमान लम्बित वाद संस्थित किये जाने की आधिकारिता विधितः नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी / प्रतिवादी रमेश चन्द्र की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का निस्तारण किये जाने से पूर्व माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष लम्बित पत्रावली में उक्त दोनो स्थगन आदेश कमशः 06/07/2015 एवं 26/02/2020 शामिल है लिहाजा इस प्रार्थना पत्र के साथ अन्यथा रूप से उक्त दोनो स्थगन आदेश की प्रतिलिपी पुनः दिये जाने की कोई विधिक आवश्यकता नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तीनो लंबित वादों में वादी के अधिवक्ता एक ही है। जिसे समस्त प्रार्थना प्रार्थना [illegible] एवं प्रकरण में लागू सभी विधियों का ज्ञान होने के उपरान्त भी साशय न्याया[illegible] की नीयत से उक्तवाद अवैध रूप से संस्थित किया है। [illegible] का दुरुपयोग किये जाने [illegible] प्रार्थी द्वारा धारा 10, धारा 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अवैध रूप से संस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.30 15:52:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

वर्तमान लम्बित उक्त उनवानी वाद को खारिज किये जाने की एवं विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी के प्रार्थनापत्र का उचित निस्तारण किये जाने की कृपा करें।

अप्रार्थी/वादी ने धारा 10, धारा 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी का जवाब पेश किया जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है। वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में अपील लम्बित होना स्वीकार है। परन्तु यहां यह कहना उल्लेखनिय है कि अपीलीय न्यायालय में प्रार्थी / प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही प्रकरण में नहीं की जा रही है। अपीलीय न्यायालय द्वारा स्थगन दिनांक 28/2/2020 से निर्णय व डिकी की पालना में रोक लगा दी परन्तु प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा मात्र वाद बहुल्ता कारित करने के उददेश्य से अपील दायर की गयी है तथा प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा अपील का निस्तारण करने में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मात्र अलग–अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील का लम्बित किया जा रहा है तथा अप्रार्थी/वादी को अपने अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा मात्र वाद बहुल्ता कारित कर अप्रार्थी को उसके खातेदारी अधिकारों से महरूम करने के लिए विभिन्न न्यायालय में वाद दायर कर न्याय से वंचित किया जा रहा है। उक्त वाद में भी प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा पूर्व में भी कई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये है जिसे मान्य न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर खारिज फरमाया जा चुका है। जिसके उपरान्त प्रार्थी / प्रतिवादी को वाद का जवाब प्रस्तुत करने के भी कई अवसर प्रदान करने के बाद भी वादोत्तर प्रसतुत नहीं कर प्रकरण को लम्बा करने के उददेश्य से प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किये जा रहे है। अप्रार्थी/वादी द्वारा अप्रार्थी/वादी को अपने पिता के देहान्त के पश्चात उनकी पैतृक आराजी में हित निहित होने के कारण पूर्व में श्रीमान के समक्ष निर्णित वाद में हुए निर्णय व डिकी के आधार पर प्राप्त हुए खातेदारी अधिकारों के आधार पर अप्रार्थी/वादी के हिस्से में आयी भूमि का विभाजन का वाद श्रीमान तो समक्ष प्रस्तुत किया है। जहां तक अलग–अलग न्यायालयों में विवादग्रस्त भूमि के वादों का प्रश्न है तो न्यायालयों में विभिन्न वादों की प्रकृति भिन्न–भिन्न है यहा मात्र मिन अप्रार्थी/वादी द्वारा मात्र अपने हक व हिस्से के घोषणा एवं विभाजन हेतू श्रीमान के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी के द्वारा कानून के प्रावधानों के विपरित जा कर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा श्रीमान के समक्ष किसी भी प्रकार का वाद प्रस्तुत होने के पश्चात उसको सुनने तथा निस्तारण करने की प्रभुता प्राप्त है। दस्तावेज दिनांक 05.02.2004 के आधार पर सभी पक्षकार अपने अपने हिस्से में आयी भूमि पर काबिज है तथा उक्त राजीनामा सहमति पत्र के आधार पर ही अप्रार्थी/वादी तथा प्राथी/प्रतिवादी द्वारा सहमति [illegible] गयी जिसके आधार पर ही श्रीमान न्यायालय द्वारा वाद को राजीनामा के आधार पर [illegible] डिक्री किया गया। जिससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.30 15:52:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रार्थी/प्रतिवादी अपनी सहमति प्रदान किये जाने से विबन्धित है तथा यदि न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क 11 के स्थगन को माना भी जाये तो अप्रार्थी द्वारा किसी दीगर व्यक्ति को विवादग्रस्त भूमि बेचान नहीं किया जा रहा है अप्रार्थी/वादी मात्र अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा तथा तकासमा करवाने के लिए श्रीमान के समक्ष वाद प्रस्तुत किया है। प्रार्थी को उददेश्य मात्र अप्रार्थी /वादी को न्याय से वंचित करने के लिए तथा वाद बाहुल्यता बढ़ाने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसे खारिज किया जाकर प्रकरण में आगामी कार्यवाही किये जाने के आदेश करे। अन्य न्यायालय में विचाराधीन वादों की प्रकृति भिन्न होने के आधार पर उक्त वाद की प्रकृति पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ना ही उक्त वाद के निस्तारण से प्रार्थी/प्रतिवादी के किसी विधिक अधिकार पर विपरित प्रभाव ही कारित होते है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 व 11 में वर्णित प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी/वादी ने दिनांक 10.02.2016 को निष्पादित वसीयत के आधार पर आयी सम्पति बाबत् घोषणा चाही है तथा रजिस्टर्ड वसीयत से प्रतिवादी को किसी भी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होने बाबत् घोषणा वाद में चाही है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से किसी प्रकार से वर्जित नहीं है तथा उक्त अनुतोष, विर्निदिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत मान्य न्यायालय ही प्रदान कर सकते है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में ली गई आपत्तियाँ विधि व तथ्यों के मिश्रित प्रश्न है जो विवाद्यक विरचित होने व साक्ष्य आने के पश्चात् निस्तारण किये जा सकते है। ऐसी अवस्था में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अप्रार्थी / वादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी/प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश पारित करे।

वकील वादी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया गया तथा प्रार्थना पत्र धारा 10, धारा 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया। वकील अप्रार्थी/वादी ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया गया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 10, धारा 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

पत्रावली व राजस्व रिकार्ड का आधोपान्त अवलोकन करने व वकील उभयपक्षो की वहस पर मनन करने पर हम इस निकर्ष पर पहुँचे है कि वादी ने दावा अन्तर्गत बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा, तथा सीमाज्ञान अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 111, 1[illegible] राजस्व अधिनियम 1956 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.30 15:52:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

स्त आराजी खसरा नम्बरान 2775, 2776, 2799, 5309/2789 कुल किता 4 कुल 0.3500 है0 वाके ग्राम सांगानेर , तहसील सांगानेर जिला जयपुर का प्रस्तुत किया। नानगराम द्वारा उक्त उनवानी वाद नामान्तरण प्रपत्र संख्या 2075 दिनांक /02/2020 के आधार पर प्रस्तुत वाद संख्या 57/06 उनवानी प्रकाश चन्द्र व अन्य म रामलाल में पारित निर्णय/डिकी दिनांक 21/08/2019 की इजराय की पालना में ला गया है। उक्त निर्णय/डिकी दिनांक 21/08/2019 को माननीय न्यायालय आर ए. जयपुर में अपील संख्या 82/2020 उनवान रमेश चन्द्र सैनी बनाम प्रभाती व अन्य के रा अपीलाधीन है जो आज दिनांक में भी लंबित है। उक्त अपील पत्रावली में माननीय यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 26/02/2020 से माननीय न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय / डिकी कि क्रियान्विती पर स्थगन आदेश पारित है। उक्त निर्णय / डिकी के आधार व अनुसरण में दिनांक 26/02/2020 के उपरान्त कोई भी कार्य विधितः नहीं किया जा सकता है। वादी नानगराम द्वारा उक्त वाद उक्त स्थगन आदेश लिये जाने के उपरान्त माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष विधिक प्रावधानो के विपरीत प्रस्तुत किया गया है वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद में विवादग्रस्त सम्पति व अपील संख्या 82/2020 में विवादग्रस्त कृषि भूमि समान है। जो अपील न्यायालय मे विचाराधीन है। अर्थात कौनसी भूमि किसको मिलनी है अभी अपीलीय न्यायालय द्वारा तय किया जाना शेष है। एवं माननीय न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21/08/2019 की वैधता पर भी निर्णय लिया जाना शेष है। अतः जब तक माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश/निर्णय नहीं लिया जाता है तब तक निर्णय/डिकी दिनांक 21/08/2019 के अनुसरण में बने नामान्तरण संख्या 2075/2020 पर स्थगन आदेश दिनांक 26/02/2020 के चलते इसका प्रयोग नानगराम द्वारा विधित नहीं किया जा सकता है उक्त उनवानी वाद में वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अपील संख्या 82/2020 माननीय न्यायालय आर.एए. जयपुर में अपील लम्बित है अतः केवल मात्र विवादित नामान्तरण के आधार पर वादी को वाद सस्थित किये जाने की विधिक अधिकारिता नहीं है कानुनन एक ही कृषि भूमि को दो अलग-अलग न्यायालयों में विवादग्रस्त नहीं किया जा सकता यह विधि का सुस्थापित सिंद्धात है। वाद संख्या 57/06 न्यायालय एस.डी.ओ सागानेर में वादी प्रकाश चंन्द व अन्य द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज बाबत तकारामा दिनांक 05/02/2004 के आधार पर प्रस्तुत किया गया था उक्त दस्तावतेज दिनांक 05/02/2004 के निरस्तीकरण का दावा [illegible] लाल बनाम प्रकाश चन्द्र व अन्य माननीय न्यायालय एडीजे [illegible] लंबित है [illegible] सिविल वाद की टी.आई में स्थगन आदेश दिनांक 06/07/[illegible] जारी किया गया है जिससे वादी नानगराम स्वयं भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.30 15:52:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

...ज्य है उक्त स्थगन आदेश दिनांक 06/07/2015 के द्वारा माननीय न्यायालय ए. डीजे 11 सांगानेर द्वारा सभी पक्षकारों को उक्त दस्तावेज दिनांक 05/02/2004 के आधार पर विवादग्रस्त जमीन को किसी भी प्रकार से अन्तरण किये जाने स्थगन है उक्त दस्तावेज दिनांक 05/02/2004 उस कृषि भूमि के संबंध में निस्पादित किया गया जो कि माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष लम्बित वर्तमान वाद एवं पूर्व वाद संख्या 57/06 में वादग्रस्त कृषि भूमि है उनवानी रामलाल बनाम प्रकाश व अन्य एडीजे सांगानेर में भी विवादग्रस्त भूमि है चूंकि सभी वादो का मुख्य आधार मात्र दस्तावेज दिनांक 05/02/2004 ही है। जो विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है। जिनका निर्णय होना शेष है। इस प्रकार उपरोक्तानुसार स्थगन आदेश दिनांक 26/02/2020 न्यायालय आर एए जयपुर व स्थगन आदेश 06/07/2015 के चलते वाद संख्या 23/2024 उनवान रामलाल बनाम प्रकाश चन्द्र (नानगराम वादी रामलाल का पुत्र है) दावा बाबत निरस्तीकरण एवं अपील संख्या 82/2020 उनवान रमेश चन्द्र बनाम प्रभाती व अन्य के लम्बित रहते एवं आदेश/निर्णय/डिकी 21/08/2019 की क्रियान्विती पर स्थगन आदेश दिनांक 26/02/2020 के प्रभावी रहते वाद के वादी नानग राम को वर्तमान लम्बित वाद संस्थित किये जाने की आधिकारिता विधितः नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 10, धारा 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 10, धारा 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद आराजी खसरा नम्बरान 2775, 2776, 2799, 5309/2789 कुल किता 4 कुल रकबा 0.3500 है0 वाके ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर को खारिज किया जाता है। पृथक से पर्चा डिक्री तैयार कर पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2024 को खुले न्यायालय में सरे आम सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
द्वितीय (सांगानेर),जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.30 15:52:38 IST
Reason: SelfAttested